

कार्यालय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)

::- परिपत्र -::

क्रमांक : 07 / दो-12-01 / 01

खण्डवा, दिनांक : 27 / 04 / 2023

यह देखने में आया है कि न्यायिक अधिकारीगण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (JOTI) द्वारा 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत न्यायिक अधिकारियों के उपयोग के लिये न्यायालय ग्रंथालय हेतु प्रदत्त की गई पुस्तकों का उचित रूप से संधारण एवं रख-रखाव नहीं किया जा रहा है।

अतएव स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे 13 वें वित्त आयोग के अंतर्गत न्यायालय ग्रंथालय हेतु प्रदत्त की गई पुस्तकों का न्यायिक अधिकारीगण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (JOTI) द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के आलोक में उचित रूप से संधारण एवं रख-रखाव करना सुनिश्चित करें।

-sd-

(श्रीमती ममता जैन)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)

पृष्ठांकक्रमांक : 830 / दो-12-01 / 01

खण्डवा, दिनांक : 27 / 04 / 2023

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :-

01. प्रभारी अधिकारी, ग्रंथालय अनुभाग, जिला न्यायालय, खण्डवा।
02. विशेष न्यायाधीश, अजा/अजजा (अ.नि.) अधिनियम, खण्डवा।
03. प्रथम/द्वितीय/तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, खण्डवा।
04. जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, हरसूद जिला खण्डवा।
05. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खण्डवा।
06. द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, खण्डवा।
07. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, हरसूद/पुनासा जिला खण्डवा।
08. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, खण्डवा।
09. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, हरसूद जिला खण्डवा।
10. प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा।
11. लेखापाल, जिला न्यायालय, खण्डवा।

की ओर न्यायिक अधिकारीगण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर (JOTI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की छायाप्रति सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

-sd-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
पूर्व निमाड़, खण्डवा (म.प्र.)